

FAX

पत्र संख्या- 1/प्रा0आ0-0-3-12/2017 (खण्ड).....120/आ0प्र0

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0  
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
वैशाली/नालंदा/गया/बेगूसराय/ मधेपुरा/ बाँका/ अरवल/ जमुई/पश्चिम चम्पारण/  
सहरसा/सारण/कैमूर/सीवान/खगड़िया/औरंगाबाद/सीतामढ़ी/मुजफ्फरपुर/शिवहर/ मधुबनी  
/सुपौल /समस्तीपुर/रोहतास/भागलपुर/जहानाबाद/पटना/नवादा/शेखपुरा।

पटना-15, दिनांक- 22/12/17

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल ₹ 1010.313 लाख (दस करोड़ दस लाख इकतीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक आगणन तथा द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत।

उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या- 39 विस्तृत शीर्ष- 37-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष- 01-अनुग्रह अनुदान  
(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वैशाली	9	0	0	153.52 (एक करोड़ तिरपन लाख बावन हजार)	36.00 (छत्तीस लाख)	189.52 (एक करोड़ नवासी लाख बावन हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना पानी में डूबने से, वज्रपात
2	नालंदा	9	0	0	272.555 (दो करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार पाँच सौ)	36.00 (छत्तीस लाख)	308.555 (तीन करोड़ आठ लाख पचपन हजार पाँच सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना पानी में डूबने से, वज्रपात
3	गया	16	3	0	241.284 (दो करोड़ इकतालीस लाख अठाईस हजार चार सौ)	64.129 (चौसठ लाख बारह हजार नौ सौ)	305.413 (तीन करोड़ पाँच लाख इकतालीस हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
4	बेगूसराय	15	0	0	308.127 (तीन करोड़ आठ लाख बारह हजार सात सौ)	60.00 (साठ लाख)	368.127 (तीन करोड़ अठसठ लाख बारह हजार सात सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना

120 24/12/17

5	मधेपुरा	17	1	12	181.486 (एक करोड़ इक्यासी लाख अड़तालीस हजार छः सौ)	71.593 (इकहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ)	253.079 (दो करोड़ तिरपन लाख सात हजार नौ सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
6	बाँका	1	0	0	100.00 (एक करोड़)	4.00 (चार लाख)	104.00 (एक करोड़ चार लाख)	वज्रपात
7	अरवल	6	0	0	36.30 (छत्तीस लाख तीस हजार)	24.00 (चौबीस लाख)	60.30 (साठ लाख तीस हजार)	पानी में डूबने से
8	जमुई	6	2	0	108.30 (एक करोड़ आठ लाख तीस हजार)	24.48 (चौबीस लाख अड़तालीस हजार)	132.78 (एक करोड़ बत्तीस, लाख अठहत्तर हजार)	वज्रपात, पानी में डूबने से
9	पश्चिम चम्पारण	3	0	0	88.00 (अठासी लाख)	12.00 (बारह लाख)	100.00 (एक करोड़)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
10	सहरसा	6	1	1	309.29 (तीन करोड़ नौ लाख उनतीस हजार)	24.343 (चौबीस लाख चौतीस हजार तीन सौ)	333.633 (तीन करोड़ तेतीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
11	सारण	22	0	0	156.00 (एक करोड़ छप्पन लाख)	88.00 (अठासी लाख)	244.00 (दो करोड़ चौवालीस लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
12	कैमूर	9	2	3	133.68 (एक करोड़ तेतीस लाख अड़सठ हजार)	36.923 (छत्तीस लाख बानवे हजार तीन सौ)	170.603 (एक करोड़ सत्तर लाख साठ हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
13	सीवान	4	1	0	96.00 (छियानवे लाख)	16.591 (सोलह लाख उनसठ हजार एक सौ)	112.591 (एक करोड़ बारह लाख उनसठ हजार एक सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
14	खगड़िया	30	1	0	24.00 (चौबीस लाख)	120.127 (एक करोड़ बीस लाख बार हजार सात सौ)	144.127 (एक करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार सात सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
15	औरंगाबाद	8	0	0	89.093 (नवासी लाख नौ हजार तीन सौ)	32.00 (बत्तीस लाख)	121.093 (एक करोड़ इक्कीस लाख नौ हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
16	सीतामढ़ी	1	0	0	84.987 (चौरासी लाख अनठानवे हजार सात सौ)	4.00 (चार लाख)	88.987 (अठासी लाख अनठानवे हजार सात सौ)	अतिवृष्टि
17	मुजफ्फरपुर	6	0	0	40.00 (चालीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	64.00 (चौसठ लाख)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
18	शिवहर	14	0	0	40.00 (चालीस लाख)	56.00 (छप्पन लाख)	96.00 (छियानवे लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात

19	मधुबनी	12	0	0	104.00 (एक करोड़ चार लाख)	48.00 (अड़तालीस लाख)	152.00 (एक करोड़ बावन लाख)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
20	सुपौल	6	0	0	88.127 (अठासी लाख बारह हजार सात सौ)	24.00 (चौबीस लाख)	112.127 (एक करोड़ बारह लाख बारह हजार सात सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात
21	समस्तीपुर	15	0	0	92.90 (बानवे लाख नब्बे हजार)	60.00 (साठ लाख)	152.90 (एक करोड़ बावन लाख नब्बे हजार)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
22	रोहतास	5	0	0	176.213 (एक करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार तीन सौ)	20.00 (बीस लाख)	196.213 (एक करोड़ छियाणवे लाख इक्कीस हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
23	भागलपुर	6	0	0	208.00 (दो करोड़ आठ लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	232.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
24	जहानाबाद	8	0	0	236.00 (दो करोड़ छत्तीस लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)	268.00 (दो करोड़ अठसठ लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात
25	पटना	9	1	0	388.00 (तीन करोड़ अठासी लाख)	36.127 (छत्तीस लाख बारह हजार सात सौ)	424.127 (चार करोड़ चौबीस लाख बारह हजार सात सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
26	नवादा	2	0	0	108.00 (एक करोड़ आठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)	वज्रपात
27	शेखपुरा	6	0	0	64.00 (चौसठ लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	88.00 (अठासी लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
कुल योग		251	12	16	3927.862 (उनचालीस करोड़ सताईस लाख छियासी हजार दो सौ)	1010.313 (दस करोड़ दस लाख इक्कीस हजार तीन सौ)	4938.175 (उनचास करोड़ अड़तीस लाख सतरह हजार पाँच सौ)	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, वैशाली के 877 दिनांक 03.10.17, 879 दिनांक 03.10.17, 878 दिनांक 03.10.17, 971 दिनांक 31.10.17, 895 दिनांक 09.10.17, 970 दिनांक 31.10.17, 972 दिनांक 31.10.17, 1044 दिनांक 23.11.17 एवं 714 दिनांक 16.08.17/नालंदा के पत्रांक 999 दिनांक 03.10.17, 996 दिनांक 03.10.17 एवं 1135 दिनांक 14.11.17/गया के पत्रांक 2853 दिनांक 29.09.17, 2968 दिनांक 09.10.17, 3018 दिनांक 12.10.17, 3017 दिनांक 12.10.17, 3019 दिनांक 12.10.17, 3016 दिनांक 12.10.17, 3489 दिनांक 24.11.17, 3490 दिनांक 24.11.17, 3488 दिनांक 24.11.17, 3491 दिनांक 24.11.17, 3416 दिनांक 18.11.17, 3152 दिनांक 28.10.17 एवं 3738 दिनांक 14.12.17/बेगूसराय के पत्रांक 580 दिनांक 05.10.17/मधेपुरा के पत्रांक 742 दिनांक 22.09.17, 787 दिनांक 10.10.17, 911 दिनांक 23.11.17 एवं 845 दिनांक 04.11.17/बाँका के पत्रांक 251 दिनांक 04.10.17 /अरवल के पत्रांक 234 दिनांक 01.11.17 एवं 241 दिनांक 06.11.17 /जमुई के पत्रांक 193 दिनांक 26.09.17 एवं 187 दिनांक 21.09.17, 215 दिनांक 03.11.17 एवं 228 दिनांक 17.11.17 /पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 115 दिनांक 16.09.17/सहरसा के पत्रांक 197-1 दिनांक 25.09.17, 195-1 दिनांक 25.09.17, 240-1 दिनांक 24.11.17, 229-1 दिनांक 23.10.17 एवं 196-1 दिनांक 25.09.17/ सारण के पत्रांक 1055 दिनांक 26.09.17, 1162 दिनांक 01.11.17 एवं 1163

दिनांक 01.11.17/ कैमूर के पत्रांक 513 दिनांक 04.10.17, 556 दिनांक 16.10.17, 557 दिनांक 16.10.17, 558 दिनांक 16.10.17, 560 दिनांक 16.10.17, 627 दिनांक 25.11.17, 626 दिनांक 25.11.17, 593 दिनांक 06.11.17, 577 दिनांक 30.10.17, 591 दिनांक 06.11.17 एवं 620 दिनांक 24.11.17/ सिवान के पत्रांक 880 दिनांक 30.10.17, 908 दिनांक 04.11.17 एवं 974 दिनांक 23.11.17/ खगड़िया के पत्रांक 130 दिनांक 20.11.17 एवं 114 दिनांक 11.08.17/ औरंगाबाद के पत्रांक 665 दिनांक 01.12.17 एवं 631 दिनांक 11.11.17/सीतामढ़ी के पत्रांक 979 दिनांक 12.10.17/मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1553 दिनांक 04.11.17 एवं 1554 दिनांक 04.11.17/ शिवहर के पत्रांक 415 दिनांक 31.10.17 एवं 414 दिनांक 31.10.17/ मधुबनी के पत्रांक 914 दिनांक 09.11.17 एवं 952 दिनांक 20.11.17/ सुपौल के पत्रांक 1357-2 दिनांक 06.10.17 एवं 1474-2 दिनांक 03.11.17/ समस्तीपुर के पत्रांक 1132 दिनांक 20.11.17 एवं 880 दिनांक 11.09.17/रोहतास के पत्रांक 334 दिनांक 13.11.17/भागलपुर के पत्रांक 840 दिनांक 22.11.17, 842 दिनांक 22.11.17 एवं 841 दिनांक 22.11.17 / जहानाबाद के पत्रांक 53 दिनांक 24.11.17/ पटना के पत्रांक 1543 दिनांक 04.11.17, 1540 दिनांक 04.11.17 एवं 1583 दिनांक 16.11.17/ नवादा के पत्रांक 397 दिनांक 19.11.17 एवं 392 दिनांक 10.11.17/ शेखपुरा के पत्रांक 354 दिनांक 20.11.17 एवं 345 दिनांक 06.11.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। घायलों, मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्ट उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फ़ैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, विपत्र (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक- 120 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 120 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 120 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक - 120 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 120 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना)-सह- प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव